Result Mitra Daily Magazine

खाद्य व्यवसाय के लिए नियम

❖ हालिया संदर्भ :

- उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए ग्राहकों के सामने संचालक, मालिक, प्रबंधक एवं अन्य प्रासंगिक नामों को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए निर्देश जारी किए।
- इससे पूर्व 22 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के UP और उत्तराखंड पुलिस द्वारा कांवड़ियों के महेनजर जारी ऐसे ही आदेश पर रोक लगा दी थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट (FSSA), 2006 के तहत ऐसा आदेश 'सक्षम प्राधिकरण' द्वारा ही जारी किया जा सकता है। पुलिस ऐसा करके अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर रही है।

❖ नियम :

- खाद्य पदार्थ का व्यवसाय करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से व्यवसाय को पंजीकृत कराना या लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
- FSSAI, FSSA के तहत स्थापित निकाय है, जो भारत में खाद्य पदार्थों को संसाधित करने, बिक्री–वितरित करने एवं आयात करने के तरीके को निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है।

- FSSAI सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुनिश्चितता करता है।
- छोटे पैमाने के खाद्य व्यवसाय, फेरीवाले, स्टॉल धारकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस एवं पंजीकरण) नियम, 2011 के तहत FSSAI के साथ पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
- यदि व्यक्ति को पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो उसे फोटो युक्त प्रमाण–पत्र को व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना होता है।
- बड़े व्यवसायों के संचालकों को प्राप्त लाइसेंस (फोटो ID सहित) को भी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता होती है।
- FSSA की धारा–3 के तहत बिना लाइसेंस के खाद्य–व्यवसाय करने वालों को 6 महीने तक जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

❖ राज्य के अधिकार :

- FSSA की धारा–94(1) में वर्णित है कि केंद्र सरकार एवं खाद्य प्राधिकरण की नियम एवं विनियम बनाने की शक्ति के अधीन राज्य सरकार पिछले प्रकाशन के बाद एवं खाद्य प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
- धारा –94(2)A में वर्णित है कि राज्य उन मामलों में नियम बना सकती है, जो धारा 30(2)F के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अन्य कार्यों के अंतर्गत आते हैं।
- धारा–30 के तहत राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति करता है, ताकि नियमों का कुशल कार्यान्वयन हो सके।
- धारा–94(2) में प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी अन्य मामले में भी नियम बना सकती है, जिसे बनाया जाना जरूरी है।
- धारा–94(3)कहता है कि जितनी जल्दी हो सके, नियम को राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए।

❖ उल्लंघन की स्थिति :

- यदि कोई व्यवसाय संचालक FSSA के विनियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो धारा–31 के तहत उसे 'सुधार नोटिस' भेजा जा सकता है, जिसके अनुपालन की न्यूनतम अवधि 14 दिन होती है।
- यदि कोई व्यक्ति नोटिस का अनुपालन नहीं करता है तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है और बाद में रद्द भी किया जा सकता है।

Result Mitra TM

❖ UP सरकार का निर्देश :

- UP द्वारा जारी गैर–अनुपालन के लिए दंड को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- धारा–58 उन उल्लंघनों से संबंधित है, जिसके तहत आर्थिक दंड दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
- अगर किसी खाद्य व्यवसायी को एक ही अपराध के लिए दो बार दोषी ठहराया जाता है, तो उसे दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है, साथ ही प्रतिदिन के आधार पर एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

❖ अदालत में चुनौती :

- 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में UP पुलिस के आदेश पर याचिकाकर्ताओं ने तर्क देते हुए कहा कि यह आदेश अनुच्छेद–15(1) का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग, धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
- साथ ही यह आदेश अनुच्छेद–19(1)G का भी उल्लंघन है, जो किसी नागरिक को किसी भी पेशे के अभ्यास का अधिकार देता है।
- इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने इस अनुच्छेद–17 (अस्पृश्यता का अंत) का भी उल्लंघन बताया।
- UP सरकार ने अपने द्वारा जारी किए गए निर्देश के संबंध में कहा कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के साथ जारी किया गया है।
- UP सरकार ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से जूस, दाल, रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट, खाद्य एवं गंदे पदार्थ मिलाए जाने के घटनाओं को ध्यान में रखकर उसने खाद्य प्रतिष्ठानों पर CCTV कैमरे लगाने एवं राज्यव्यापी सत्यापन अभियान चलाने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं ताकि आम आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

Note : FSSAI, FSSA, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।

Result Mitra